SAS NAGAR (MOHALI) के PRINCIPAL जज/फैमिली कोर्ट के सामने

HMA_____ /2026

Xxxxxx, पुत्री/पुत्र श्री Xxxx की, श्री Xxxxxx की पत्नी, निवासी xxxxx, चंडीगढ़।

याचिकाकर्ता नं.1

विरोध में

Xxxxxx, पुत्र Xxxx का निवासी Xxxxxx, मोहाली।

याचिकाकर्ता नं.2

सहीपन प्रमाणपत्र

यह इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है कि स्कैन की गई कॉपी में सभी सामग्री और

भौतिक फाइल में वही एवं सही है।

स्थान: मोहाली

तिथि:

आवेदक/आवेदिका

वकील के माध्यम से:

दीपक मल्होत्रा और अवनि मल्होत्रा वकील

P/881/2008 **P/3239/2018**

मोबाइल न. – 9815280500, 9888861666

SAS NAGAR (MOHALI) के PRINCIPAL जज/फैमिली कोर्ट के समक्ष (BEFORE THE HON'BLE COURT)

HMA_____ /2026

Xxxxxx वर्सुस Xxxxxx

सूचकांक

S.NO	विवरण	अनुलग्नक	पृष्ठ क्र.
1.	पक्षों का परिचय/मेमो		3
2.	संयुक्त आवेदन के लिए अनुमति प्रदान करना ताकि काउंसिल को नियुक्त करने के लिए याचिकाकर्ता		4
3.	धारा 13-B के अंतर्गत याचिका HMA		5-9
4.	के समर्थक शपथ पत्र Xxxxxx	**P-1**	10
5.	के समर्थक शपथ पत्र Xxxxxx	**P-2**	11
6.	संयुक्त हलफनामा याचिकाकर्ता संबंधित पुत्र	**P-3**	12
7.	दस्तावेजों की सूची		13
8.	विवाह कार्ड और फोटोग्राफ्स	**P-4** (संग्रह..)	14-15
9.	समझौता पत्र दिनांक **22.12.2025**	**P-5**	16-18
10.	बच्चे का आधार कार्ड Xxxxxx	**P-6**	19
11.	Xxxxxx का आधार कार्ड	**P-7**	20
12.	Xxxxxx का आधार कार्ड	**P-8**	21
13.	गैस कनेक्शन/ बिजली बिल का Xxxxxx	**P-9**	22
14.	वकालतनामा का याचिकाकर्ता सं. 1 एवं 2		23

स्थल: मोहाली

तिथि:

SAS NAGAR (MOHALI) के PRINCIPAL जज/फैमिली कोर्ट के समक्ष, माननीय अदालत से
पूर्व

HMA_____ /2026

पक्षों का मेमो

Xxxxxx, पुत्री/ध daughter श्री Xxxxxx के पुत्र, श्री Xxxxxx की पत्नी, प्रदेश #Xxxxxx, चंडीगढ रहने वाले।
मोबाइल नं. XXXXXX
आधार कार्ड नं. XXXXX

याचिकाकर्ता नं.1

विरोधी

Xxxxxx, पुत्र Xxxxxxx, रहने वाले Xxxxxxxxx, मोहाली
मोबाइल नं. XXXXXX
आधार कार्ड नं. XXXXX

याचिकाकर्ता नं.2

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13-B के अंतर्गत एक परस्पर सहमति से डाइवोर्स डिक्री के लिए याचिका

स्थान: मोहाली
तिथि:

(Xxxxxx & Xxxxxx)
याचिकाकर्ता नं 1 और याचिकाकर्ता नं 2

वकीलों के माध्यम से;

दीपक मल्होत्रा और अवशि मल्होत्रा अधिवक्ता
P/881/2008 **P/3239/2018**
मोबाइल नं. – 9815280500, 9888861666

SAS Nagar (Mohali) के PRINCIPAL JUDGE/फैमिली कोर्ट के सामने, पंजाब/सम्मानित न्यायालय के समक्ष

HMA_____ /2026

Xxxxxx, D/o Sh. Xxxx, W/o Sh. Xxxxxx R/o xxxxx, Chandigarh.

याचिकाकर्ता संख्या 1

वर्सस/प्रति विरोधी

Xxxxxx, S/o Xxxx R/o Xxxxxx, Mohali.

याचिकाकर्ता संख्या 2

कोर्ट फीस 10/-

HMA के धारा 13-B के अंतर्गत याचिका संयुक्त आवेदन के रूप में अनुमति प्रदान करने हेतु

काउंसिल/वकील को नियुक्ति करना

सौम्यादर रूप से बताता है:

1. कि आवेदकगण माननीय अदालत के समक्ष संलग्न याचिका प्रस्तुत करते हैं, जिसकी सामग्री सत्य और सही है। इस आवेदन में दिए गए दावे को खंड-पत्र का हिस्सा मानकर पढ़ा जा सकता है, जिन्हें पुनरावृत्ति से बचने और संक्षिप्तता के लिए यहाँ दोहराया नहीं गया है।

2. आवेदक को कानून के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, इसलिए दोनों ने संयुक्त सलाहकार को रखना चाहा।

3. याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 माननीय अदालत से एक वकील—श्री दीपक का चयन करने की अनुमति माँग रहे हैं

Malhotra और Avish Malhotra Advocates, शीर्षक मामला। उपरोक्त के लिए

ऊपर दिए गए विचारों के मद्देनजर यह सादर प्रार्थना है कि उक्त आवेदन न्याय के हित में कृपया मंजूर किया जाए।

स्थान:

तारीख: आवेदक/याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2

2

फोटो फोटो कोर्ट फीस

₹ 50/-

माननीय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय, एसए नगर (मोहन) में।

HMA_____ /2026

Xxxxxx, पुत्री/पुत्र D/श्री Xxxx, विवाहित नहीं, Xxxxxx के निवासी xxxxx, चंडीगढ़।

याचिकाकर्ता क्र. 1

के विरुद्ध

Xxxxxx, पुत्र Xxxx के निवासी Xxxxxx, मोहाली।

याचिकाकर्ता क्र. 2

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के अंतर्गत पक्षों के विवाह को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त समझौते द्वारा निर्णय/समझौते से डिक्री का Grant of divorce

आदरपूर्वक बताता हूँ:

1. यह कि याचिकाकर्ता क्र.1 पं.2 के साथ xxxxxx को हिंदू विवाह अधिकारों और ceremonies के अनुसार विवाह किया गया था। विवाह समारोह Xxxxxxxxx में आयोजित किया गया था। इस wedlock से एक बालक हुआ, नाम- Xxxxxx on xxxxxx (उम्र लगभग ___ वर्ष). विवाह के अस्तित्व के संबंध में याचिकाकर्ता क्र.1 और याचिकाकर्ता क्र.2 का शपथ पत्र यहाँ Annexure P-1 & P2 के रूप में संलग्न है। पुरुष बालक का संयुक्त शपथ पत्र Annexure P-3 के रूप में संलग्न है.

यहाँ Annexure P-3 के रूप में संलग्न है **Annexure P-3.** विवाह पत्रक और फोटोग्राफ्स क्रमशः Annexure P-4 (Colly) के रूप में।

2. विवाह के समय और याचिका दायर करने के समय दोनों पक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:

	पत्नी याचिकाकर्ता संख्या 1		पति याचिकाकर्ता संख्या 2	

2

	स्थिति और आयु	स्थिति का निवास	स्थिति और आयु	स्थिति का निवास
उस समय Un-शादी का	विवाहित	Xxxxxx	Un-विवाहित	Xxxxxx
उस समय filing के अनुसार याचिका	विवाहित के बारे में ---- साल का आयु	Xxxxxxx	विवाहित के बारे में ----- आयु के वर्ष	Xxxxxx

3. कि पति-पत्नी Xxxxxxxxxx, मोहाली. लेकिन दोनों याचिका प्रस्तुत करने वालों के बीच के मानसिक/चरित्रगत मुद्दों के कारण दोनों याचिकाकर्ता लंबे समय से अलग-अलग विचरण कर रहे हैं और तब से कभी एक साथ नहीं रहे हैं।

4. सम्मानित व्यक्तियों के हस्तक्षेप से दोनों याचिकाकर्ताओं के बीच मुद्दे हल हो गए हैं और याचिका के दोनों पक्षों ने यह तय किया है कि वे पति-पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहना चाहते और अच्छे के लिए परस्पर अलगाव चाहेंगे।

रूप में संलग्न है।

एक पारस्परिक समझौता किया गया था। समझौते की प्रति यहां Annexure P-5 के Petitioner No.1 और Petitioner No.2 के बीच साक्षियों के □□□□ होन□ में याचिकाकर्ताओं के बीच लंबित दलीलों को हल करने के लिए तारीख Xxxxxx पर

5. विवाह के निधन/व dissolution mutual consent के तरीके से और दोनों

6. दोनों याचिकाकर्ताओं के बीच Xxxxxx तिथि के अनुसार समझौते में सहमति में तय किए गए नियम व शर्तें निम्नलिखित के रूप में उल्लेखित हैं;

ए. निपटान राशि

दूसरी पक्ष कुल राशि Rs. _____ पहले पक्ष के नाम पर, पूर्ण के लिए

और अंतिम निपटान के लिए:

i. प्रथम पक्ष की भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य की भरण-पोषण,

ii. प्रथम पक्ष का भत्ता और स्थायी भरण-पोषण,

iii. और सभी अन्य दावे, जिसमें स्वयं की संपत्ति में कोई भी हिस्सा शामिल है

या एक-दूसरे के माता-पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा।

B. भुगतान का तरीका:

रु. _____ पहली मोशन के समय दिया जाएगा, शेष _____ दूसरी मोशन के समय दिया जाएगा।

C. स्त्रीधन, संपत्ति, कार और सोने के सामान

दोनों पक्षों के बीच स्त्रीधन, संपत्ति और सोने के सामान से संबंधित सभी दावे निपटाए जा चुके हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे (या एक-दूसरे के माता-पिता) के खिलाफ स्त्रीधन, संपत्ति और सोने के सामान के संबंध में किसी भी अदालत या प्राधिकरण में कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे। हालांकि, निम्नलिखित सोने के सामान द्वितीय पक्ष की अभिरक्षा में हैं, जिन्हें दूसरी मोशन की रिकॉर्डिंग के समय प्रथम पक्ष को सौंप दिया जाएगा। ये सामान हैं:

_____

D. बच्चे का खर्च

बच्चा जिसका नाम Xxxxxx है, जिसकी आयु लगभग ____ वर्ष है (जन्म तिथि xxxxxx) और वह अपनी पसंद के अनुसार _____ या किसी के साथ रह सकता है। हालांकि, उसकी शिक्षा और अन्य सभी खर्चे _____ द्वारा वहन किए जाएंगे। बच्चे का आधार कार्ड परिशिष्ट- P-6 के रूप में संलग्न है और याचिकाकर्ताओं के आधार कार्ड P-7 और P-8 के रूप में संलग्न हैं।

E. धारा 13-बी के तहत तलाक की याचिका

इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, दोनों पक्ष इन शर्तों के अनुसार संयुक्त रूप से धारा 13-बी एचएमए के तहत तलाक की याचिका दायर करेंगे। दोनों पक्ष अपने बयान दर्ज कराने के समय उपस्थित होंगे और सहयोग करेंगे।

F. लंबित मामलों की वापसी

धारा 13-बी एचएमए के तहत दूसरी मोशन की रिकॉर्डिंग से पहले: दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ दायर सभी सिविल/क्रिमिनल मामले (यदि कोई लंबित हैं) वापस ले लेंगे और भविष्य में उसी कारण पर कोई मुकदमा दायर न करने का वचन देंगे।

s

G. उल्लेख न करना/हस्तक्षेप नहीं

दोनों पक्ष □□□ से एक-दूसरे के निजी, पेशेवर और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर ,
ेंगे।

H. समझौते की अंतिमता

कुल राशि रु. _____ पहले पक्ष के पूरी तरह से अलावजोद, क्षतिपूर्ति, रख-रखाव बन जाएगी। *उपरोक्त समझौते के पूर्ण होने के बाद, दोनों पक्षों को इस विषय में कोई दावा नहीं होगा:

i. स्वयं के movable/immovable संपत्ति के स्वामित्व से / किसी भी पक्ष के माता-पिता,

ii. रख-रखाव,

iii. भरण-पोषण,

iv. पूर्व शिकायतें,

v. घरेलू हिंसा,

vi. दहेज़ विवाद,

vii. या कोई मौद्रिक, सिविल, या दंडात्मक दावा।

*पूरे स्थिर राशि प्राप्त करने के बाद, पहले पक्ष को स्वयं के लिए दूसरे पक्ष से कोई अतिरिक्त रख-रखाव/भरण-पोषण/देय नहीं मिलेगा।

I. समझौते का उल्लंघन

यदि किसी पक्ष द्वारा इस समझौते का उल्लंघन या पलटाव किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक सहमति से और किसी प्रकार के जबरदस्ती या बाहरी दबाव के बिना पारस्परिक विवाह-विच्छेद का निर्णय लिया गया है।

8. यह याचिका मिलीभगत में प्रस्तुत नहीं की गई है। दोनों पक्षों के बीच सह-अधीन रहने के कोई अवसर नहीं हैं। इस याचिका को दायर करने में कोई अनावश्यक या अनुचित देरी नहीं हुई है।

9. राहत प्रदान न किए जाने के अन्य कोई आधार नहीं हैं।

10. यह दोनों याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह माननीय न्यायालय इस याचिका पर विचार करने हेतु क्षेत्राधिकार रखता है क्योंकि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और क्रमांक 2 के पास आखिरिकार साथ में निवास किया Xxxxxxxxxx मोहाली में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते रहे।

11. उस याचना पर उचित अदालत शुल्क लगाया गया है।

12. ऐसी या समान याचना पहले दायर नहीं की गई है
किसी न्यायालय में निर्णय नहीं हुआ था, और न ही किसी न्यायालय में विचारणाधीन है।

याचना:

इसलिए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि याचिका को
बाद तक नहीं किइस न्याय के हित में आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर उसे स्वीकार किया जाए।

तारीख:

स्थान: मोहाली
तारीख:

द्वारा प्रस्तुत किया गया: याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और क्रमांक 2

वकीलों के माध्यम से;

DEEPAK MALHOTRA & AVISH MALHOTRA अधिवक्ता

पुष्टि:

हम, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और क्रमांक 2, solemn पर कहते हैं कि
याचना के पैराग्राफ नं. 1 से 12 तक सत्य और यथार्थ हैं, यह याचिकाकर्ता के ज्ञान और विश्वास के अनुसार है।

स्थान: मोहाली

तारीख: याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और क्रमांक 2

.

अनुबंध P-1

समान्य अदालत/प्रमुख न्यायधीश के सामने, फैमिली कोर्ट, एसएएस नगर (मोहाली)

Xxxxxx, श्रीमान Xxxx की पुत्री, श्रीमती Xxxxxx की पत्नी, R/o xxxxx, चंडीगढ़।

□याचिकाकर्ता क्रमांक 1

के विरुद्ध

Xxxxxx, पुत्र Xxxx का निवासी Xxxxxx, मोहाली।

□याचिकाकर्ता क्रमांक 2

आफडिवेटि

मैं, Xxxxxx, Xxxxxxx की पुत्री, Xxxxxx के पुत्री, #Xxxxx, चंडीगढ़ का निवासी; लगभग ____ वर्ष का आयु, यह मुझे कर्तव्यपूर्वक सत्यापित घोषणा करता/करती हैं:

1. कि प्रतिक्षेपक की शादी याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ xxxxxx को हिंदू विवाहित अधिकारों और ceremonies के अनुसार solemnized हुई। विवाह का समारोह Xxxxxxxx में किया गया था। इस विवाह से एक □□□ जन्म लिया गया था जिसका नाम Xxxxxx है और वह xxxxxx को हुआ था।

2. कि प्रत्यक्षकर्ता और याचिकाकर्ता संख्याः 2 के बीच की शादी अब भी बनी है।

3. कि मेरी याचिका के अनुच्छेद 1 से 12 की सामग्री इस आफडिवेटि का भाग मानी जाए, जो सत्य और सही हैं।

घटक/प्रतिवादी

पुष्टि:

यह सत्यापित किया गया कि ऊपर के मेरे आफडिवेटि की सामग्री सत्य □□ और मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है और इसमें कुछ भी छुपा कर नहीं रखा गया है।

तारीख:

स्थान: घटक/प्रतिवादी

अनुबंध P-2

प्रधान न्यायाधीश/कुटुंब न्यायालय, SAS Nagar (Mohali) के माननीय अदालत के समक्ष

Xxxxxx, श्रीमान Xxxx के पुत्री/वि. [संकेत] Xxxxxx की पुत्री, Xxxxxx की पत्नी के रूप में रहते हुए, xxxxx, चंडीगढ.

याचिकाकर्ता नम्1

विरुद्ध

Xxxxxx, पुत्र Xxxx के निवासी Xxxxxx, Mohali.

याचिकाकर्ता नम्2

शपथ पत्र

मैं, Xxxxxx, पुत्र Xxxxxx के निवासी Xxxxxxx, Mohali; लगभग ____ वर्ष आयु सहित, नीचे दिए अनुसार दृढता से पुष्टि करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ:

1. कि प्रत्यक्षदर्शी (Deponent) और याचिकाकर्ता नम्1 के बीच विवाह xxxxxx को हिंदू विवाह अधिकारों और ceremonies के अनुसार तय किया गया था। विवाह समारोह Xxxxxxx में किया गया था। इस विवाह से एक बच्चा हुआ, जिसका नाम Xxxxxx है, वह xxxxxx पर जन्म लिया गया।

2. कि याचिकाकर्ता नम्1 और प्रत्यक्षदर्शी के बीच विवाह अभी भी बना हुआ है।

3. कि मेरी याचिका के अनुच्छेद 1 से 12 के उल्लेख यहां इस शपथ पत्र का भाग माना जाएगा, जो सत्य और सही हैं।

प्रत्यक्षदर्शी

पुष्टि:-

यह सत्य है कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र की विषयवस्तु सही है और मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छुपा कर नहीं रखा गया है।

दिनांक:

स्थान: प्रत्यक्षदर्शी

2

संलग्नक P-3

SAS नगर (मोहताली) स्थित प्रधान न्यायाधीश/परिवार अदालत के माननीय न्यायालय के समक्ष

Xxxxxx, श्रीमान Xxxx की पुत्री, श्रीमती Xxxxxx की पत्नी, स्थान: xxxxx, चंडीगढ.

याचिकाकर्ता संख्या 1

प्रतिद्वंद्वी

Xxxxxx, श्री Xxxx के पुत्र, स्थान: Xxxxxx, मोहाली.

याचिकाकर्ता संख्या 2

बच्चे के लिए संयुक्त शपथपत्र

हम, Xxxxxx, और Xxxxxx, नीचे दिए गए अनुसार शपथपूर्वक पुष्टि और घोषणा करते हैं:

1. प्रतignyपक के साथ याचिकाकर्ता 1 के बीच विवाह xxxxxx पर हिंदू वैवाहिक अधिकार और रीति-रिवाजों के अनुसार solemnized किया गया था। विवाह समारोह Xxxxxxx में किया गया था। इस विवाह से एक बच्चा हुआ, जिसका नाम Xxxxxx है, उसका जन्म तिथि xxxxxx है

2. बच्चा Xxxxxx लगभग ___ वर्ष का है और वह किसी भी अभिभावक के साथ रहने का विकल्प रखता है। हालांकि, उसकी सारी शिक्षा और अन्य खर्च ____________ द्वारा वहन किया जाएगा या संरक्षा/कस्टडी ___________ के पास रहेगी

संबद्ध शपथग्रहणकर्ता

सत्यापन:-

पुष्टि किया गया कि मेरे ऊपर दिए गए शपथपत्र के विषय वास्तव में सत्य हैं और मेरी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और इनमें कुछ भी छुपा कर नहीं रखा गया है।

तिथि:

स्थान:

शपथग्रहण करने वाले

SAS नागर (मोहाली) के PRINCIPAL जज/परिवार कोर्ट के सामने

HMA_____ /2026

Xxxxxx वर्सस Xxxxxx

दस्तावेज़ों की सूची

क्रम-सं.	विवरण	अनुबंध	पृष्ठ सं.
	दस्तावेज़ों की सूची		
1.	विवाह कार्ड और फोटो	**P-4** (कॉलम)	14-15
2.	समझौता पत्र	**P-5**	16-18
3.	बच्चे का आधार कार्ड Xxxxxx	**P-6**	19
4.	Xxxxxx का आधार कार्ड	**P-7**	20
5.	Xxxxxx का आधार कार्ड	**P-8**	21
6.	गैस कनेक्शन/ बिजली बिल का Xxxxxx	**P-9**	22

स्थान: मोहाली

दिनांक:

अफक्िस

ववािह प्रमाणपत्र

या

ववािह कार्ड

और फेरा फोटोग्राफ्स

परिशिष्ट पी-5

समझौता अनुबंध / निपटान विलेख

यह समझौता अनुबंध ("अनुबंध") 22.12.2025 को मोहाली में निष्पादित किया गया है।

के बीच

एक्सxxxxx पुत्री श्री एक्सxxxx, पत्नी श्री एक्सxxxxx, निवासी एक्सxxxxxx, चंडीगढ़।

जिसे आगे 'प्रथम पक्ष' (पत्नी) कहा जाएगा,

और

एक्सxxxxx, , पुत्र एक्सxxxxxx, निवासी एक्सxxxxx मोहाली,
जिसे आगे 'द्वितीय पक्ष' (पति) कहा जाएगा।

(प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को आगे सामूहिक रूप से 'पक्षकार' कहा जाएगा।)

जबकि

ए. पक्षकारों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार हुआ था और वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

बी. वैवाहिक मतभेदों के कारण, पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं और उन्होंने आपसी सहमति से अपने सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का निर्णय लिया है।

सी. पक्षकारों ने बिना किसी दबाव, जोर-जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से इस समझौते पर सहमति बनाई है।

अब, अतः, आपसी वादों और आश्वासनों के मद्देनज़र, पक्षकार निम्नलिखित पर सहमत होते हैं:

ए. निपटान राशि

1. द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए कुल राशि रु. _____ का भुगतान करेगा:

    - प्रथम पक्ष का भूत, वर्तमान और भविष्य का भरण-पोषण;
    - प्रथम पक्ष का स्थायी भत्ता; और
    - सभी अन्य दावे, जिनमें द्वितीय पक्ष या उसके माता-पिता की चल या अचल संपत्ति में कोई भी दावा, और इसके विपरीत, शामिल हैं।

बी. भुगतान का तरीका

1. रु. _____ द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान किया जाएगा
   हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रथम मोशन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत रिकॉर्डिंग के समय।

2. शेष _____ द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत द्वितीय मोशन की रिकॉर्डिंग के समय भुगतान किया जाएगा।

सी. स्त्रीधन, संपत्तियां, कार और सोने के सामान

1. दोनों पक्षों के स्त्रीधन, संपत्तियों और सोने के सामान से संबंधित सभी दावे

एक-दूसरे के खिलाफ सभी बातें पूरी तरह से तय हो चुकी हैं।

2. इस समझौते के निष्पादन के बाद, किसी भी पार्टी या उनके-अपने अभिभावक एक-दूसरे के खिलाफ stridhan, संपत्ति, या सोने के सामान के संबंध में कोई नागरिक या दंडनीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेंगे।

3. हालांकि, निम्नलिखित सोने के सामान जो वर्तमान में द्वितीय पक्ष की गिरफ्त में हैं और एक कार के साथ हैं, द्वितीय गति के रिकॉर्ड होने के समय प्रथम पक्ष को सौंप दिए जाएंगे:

- ________________________________

D. बाल खर्चे

1. पक्षों के एक बच्चा है, Xxxxxx, जिसकी आयु लगभग ___ वर्ष है, जन्म दिनांक ________।

2. बच्चा अपनी पसंद के अनुसार किसी भी अभिभावक के साथ रहने के लिए स्वतंत्र होगा या custody ________ के पास रहेगी

3. बच्चे की सभी शिक्षा खर्चे पूर्ण रूप से _______ द्वारा वहन किए जाएँगे

E. हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13-B के अंतर्गत तलाक की याचिका

1. इस समझौते के निष्पादन पर, पक्ष मिलकर हिंदू शादी अधिनियम, 1955 की धारा 13-B के अंतर्गत परस्पर सहमति से तलाक की याचिका दायर करेंगे, इस समझौते की शर्तों के अनुसार बिल्कुल पालन करते हुए।

2. दोनों पक्ष सक्षम अदालत के सामने प्रस्तुत होंगे और पहली और दूसरी चालनों के समय अपनी वक्तव्य रिकॉर्ड कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

F. लंबित मामलों की वापसी

1. द्वितीय गति के रिकॉर्ड से पहले, दोनों पक्षों को आपस में दायर सभी नागरिक और/या दंडनीय मामलों को वापस लेना होगा।

2. दोनों पक्ष यह वचन देते हैं कि भविष्य में इसी कारणवश एक-दूसरे के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे।

G. गैर-हस्तक्षेप

दोनों पक्ष यह वचन देते हैं कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार से एक-दूसरे के व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

H. समझौते की अंतिमता

1. कुल समझौता राशि रुपये ___________ फुल और फाइनल भरण-पोषण, मुआवजे के रूप में पहली पार्टी को दिया जाएगा।

2. इस समझौते की शर्तों के पूर्ण होने के बाद दोनों पक्षों के पास एक-दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहेगा:

- किसी भी पक्ष या उनके माता-पिता की चल या अचल संपत्ति;
- भरण-पोषण या भत्ते;
- गत या वर्तमान शिकायतें;

e

- घर के भीतर हिंसा;
- दहेज़ या स्त्रीधन विवाद; या
- किसी भी मौद्रिक, नागरिक, या आपराधिक दावे।

3. पूर्ण निपटान राशि प्राप्त करने के बाद, प्रथम पक्ष भविष्य में किसी भी स्तर पर द्वितीय पक्ष से किसी भी और सहायता, भरण-पोषण या देनदारी का दावा नहीं करेगा।

I. समझौते का उल्लंघन

यदि किसी भी पक्ष ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया या उससे पीछे हटता है, तो पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

J. स्वेच्छिक निष्पादन

यह समझौता पढ़ा गया है, समझा गया है, और दोनों पक्षों द्वारा अपनी सारी समझ में स्वेच्छापूर्ण हस्ताक्षर कर दिया गया है, बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के।

यथास्थिति के साक्ष्य के रूप में, ऊपर उल्लेखित तिथि एवं स्थान पर पक्षों ने यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है।

प्रथम पक्ष (पत्नी)
हस्ताक्षर: _____
नाम: Xxxxxx

दूसरा पक्ष (पति)
हस्ताक्षर: _____
नाम: Xxxxxx

पुरुष/गवाह:

परिशिष्ट P-6

संलग्न करें

बच्चे का आधार कार्ड

परिशिष्ट पी-7

संलग्न करें

पी-1 का आधार कार्ड

परिशिष्ट P-8

संलग्न करें

पी-2 का आधार कार्ड

अनुबंध P-9

गैस कनेक्शन या बजिली बलि संलग्न करें